to be fulfilled when no registration facility for dwelling has been announced after 1979?

It is understood that procedures and Government systems in terms Of sanctions required from numerous agencies and the cumbersome bureaucratic controls are one of the main causes of slow development of the housing sector. I would like to know from the Minister as to what relief they are going to provide in terms, of procedures, etc., in the light of the new liberalised environment existing in the country today. Can a single window clearance facility be madfe and implemented? What are the schemes of housing available for NRIs? What is the liberalisation proposed by the Ministry of Urban Development to involve private sector developers in the development of additional housing stock for NRIs 'and for domestic market?

The Government has been talking of new schemes to augment the housing stock by involvement of the private sector, yet it has taken years to announce any concrete scheme. What is the time-bound programme, if any, to finalise and announce such schemes?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): You please conclude now.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: I am concluding. I appeal to you, Sir, to direct the Urban Development Minister to take immediate steps to provide dwelling units to the weaker sections of society.

Need to fill vacancies under Scheduled Castes/Scheduled Tribes quota

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उप-सभाध्यक्ष जी, मेरा यह विशेष उल्लेख समाज में बहुत ही गिरे हुए आर्थिक स्थिति से जिनकी दयनीय स्थिति हो, इस देश के अंदर जो समाज में सबसे पिछड़े हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लि ! सरकारी नौकरियों के अंदर विशेष सुविधायें इस देश के संविधान में संशोधन करके विशेष सुविधायें उपलब्ध कराई थीं ।

तीस साल के बाद इन शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ जितने पदों को इन लोगों के द्वारा भरना चाहिए, वह भरे नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन पदों को खाली छोड़ा जा रहा है ।

तो इस सदन के माध्यम से, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स का जो बैकलाग है, उसको पूरा किया जाए और उन लोगों की पदोन्नति की हालत तो और भी बदतर है । पहल-प्रथम तो इन लोगों को पदोन्नति दी नहीं जाती है, क्योंकि इनकी सी०आर० खराब कर दी जाती है । अगर किसी को दी भी जानी है, तो हालत यह है कि जैसे जयपुर के अंदर चार कर्मचारी हैं, उसमें एक शैड्यूल्ड कास्ट्स या शैड्यूल्ड ट्राइब्स का है और तीन कर्मचारी जनरल के हैं और उन चारों का प्रोमोशन हुआ, और शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारी को, जिसकी जयपुर में पोस्टिंग हुए डेढ़ साल हुए हों और जनरल कास्ट के जो कर्मचारी हैं, उनको दस-दस, पंद्रह-पंद्रह साल हुए हैं, पदोन्नति दी, तो जनरल वालों को तो जयपुर में ही पोस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नागालैंड और मिजोरम में भेज दिया जाता है । इस प्रकार की स्थिति इन लोगों के साथ है ।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को जो रिजर्वेशन दिया है उसका बैकलाग क्यो नहीं पूरा करते ? इस प्रकार से इन कर्मचारियों के साथ जो पदोन्नति में व्यवहार किया जाता है उसको क्यों नहीं, जो अधिकारी ऐसा करते हैं, इनके साथ धांधलियां करते हैं, उन कर्म

[श्री मूल चन्द मीणा]

चारियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही करते हैं? इनकी ट्रांसफर नीति भी अलग ही नीति है इन बेचारे शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए, इनके ट्रांसफर्स भी उसी आधार पर किए जाते हैं, जबकि जनरल कास्ट्स के कर्मचारी एक-एक जगह पर 15–15, 20–20 साल तक लगे रहते हैं। कोई सीनियारिटी का, रहने की अवधि का ध्यान नहीं रखते हुए, इन लोगों के ट्रांसफर भी दो साल, तीन साल के अंदर कर दिए जाते हैं। मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है जिन पदों को नहीं भरा जा रहा है, उन पदों को खाली छोड़ा जा रहा है, चाहे वह शिक्षा विभाग के पद हों, चाहे रेलवे के अन्दर हो, चाहे दिल्ली प्रशासन के अंदर हों, चाहे विद्युत विभाग के अन्दर हो या टेक्नीकल जितनी भी सर्विसेज है दिल्ली प्रशासन के अंदर तो टैक्नीकल सर्विसेज में एस०सी०/एस०टी० के लोगों को लिया ही नहीं जाता है, जबकि उन पदों के लिए उसके उम्मीदवार भी रहते हैं। इन लोगों की यह दयनीय स्थिति है। मैं दिल्ली का एक उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली में शिक्षा विभाग के अन्दर अध्यापकों की भर्ती की गई थी और जनरल कास्ट और शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को तो ले लिया, लेकिन उन पदों पर शैड्यूल्ड ट्राइब्स के जो टीचरों की नियुक्ति की गई थी उनको अब तक पोस्टिंग नहीं दी गई है। ऐसी दयनीय स्थिति इस दिल्ली प्रशासन की है।

SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): Sir, **I** associate myself with Shri Moolchand Meena on this subject and addl **the following.** The Central gov-

वह ध्यान दे और इनका जो अधिकार है उस अधिकार को सरकार पूरा करे। जय हिन्द।

eminent in the best of intentions to foster the upliftment of SC/ST has passed Government orders tobe carried out by the departmental heads in case of promotions in the departments. Even the backlogin promotion should be speeded up to materialise the order. It is surprising and shocking to note that many clb-paitnients have not taken note of the Government orders till date. I urge the Government to call the heads of the departments and on the spot esk them to comply with the Government orders without any further delay.

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): I would also like to associate myself with the problem mentioned by Shri Moolchant? Meena. i'his is a very serious problem. The backlog on SC/ST in Government service is creating problems for the unemployed. The discrimination which is meted out to them is demoralising them. So, it is a very serious problem. The Government of India, the State Governments and the Government of Union Territories must pay attention to this and chalk out a strategy where not only this backlog is fulfilled but also steps a*e taken to see that the officers who belong to this category do not get demoralised because of discrimination.

THE VICE-CHAIRMAN" (SHRI M. A. BABY): I think there would not be two opinions regarding the importance of this issue. Everybody would agree. Therefore, I request the Minister present here to take note of this and convey this to the Government. This is very important.

Agitation by the journalists' and non-journalists' organisations demanding setting up of a Pay Commission

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों संगठन के नए वेतनमान के आयोग के गठन की मांग